GOVERNMENT OF INDIA



असाधारण

EXTRAORDINARY प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 119] No. 119] दिल्ली, शुक्रवार, जून 24, 2016/ आषाढ़ 3, 1938

DELHI, FRIDAY, JUNE 24, 2016/ASADHA 3, 1938

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 76]

[N.C.T.D. No. 76]

भाग—IV PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग अधिसूचना

दिल्ली, 23 जून, 2016

सं. फा. 16(514)/शा0वि0/डब्ल्यू /2015/1035.1036.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सक्षम प्राधिकारी की दिनांक 26.2.2015 के आदेशों के अनुसार अनुमोदित तथा दिनांक 02.06.2015 के पत्र सं. 3/24(12)/2015—आरआर के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई सहमित से तथा दिनांक 22.01.1981 की अधिसूचना संख्या फा. 09/43/80—एलएसजी/597 द्वारा अधिसूचित हैड ड्राफ्टमैन भर्ती तथा पदोन्नित विनियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बाते या हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर दिल्ली जल बोर्ड में हैड ड्राफ्टमैन के पद की भर्ती पद्धित संबंधी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम इसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात :—

- 1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ** :- (1) इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड **हैड ड्राफ्टमैन** के पद के भर्ती तथा पदोन्नित विनियम, 2016 कहा जाये।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा पे बैंड एवं ग्रेड पे/ वेतनमान :- उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न पे बैंड एवं ग्रेड पे/वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 3. भर्ती पद्धित, आयु सीमा, अन्य योग्यताएं.—उक्त पद की भर्ती पद्धित, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 4. **अयोग्यता.**—कोई भी व्यक्ति

- (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है जिसका जीवित पति / पत्नी है; या
- (ख) जिसने जीवित पत्नी / पित के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

शर्त यह है कि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार है/हैं, तो किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

- 5. **छूट प्रदान करने की शक्ति.**—जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श पर किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
- 6. **बचाव.**—इन विनियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनूसूची

1.	पदनाम	:	हैड ड्राफ्टमैन				
2.	पदों की संख्या	:	8 (2015) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।				
3.	वर्गीकरण	:	श्रेणी 'ख''				
4.	पे बैंड एवं ग्रेड पे /वेतनमान	:	वेतन समूह-2 में 9300-34800 / -रुपये (ग्रेंड पे 4800 / -रुपये)				
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद		चयन				
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	•••	लागू नहीं				
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताऍ	(*)(*)	लागू नहीं				
8.	क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।	:	लागू नहीं				
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	लागू नहीं				
10.	भर्ती की पद्धित सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नित या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धितयों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नित द्वारा जिसके न होने पर अल्पकालिका संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा				
11.	11. यदि पदोन्नित / प्रतिनियुक्ति/विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नित / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है विल्ली जल बोर्ड प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित क्षेत्र में एक सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा कर दो वर्ष की नियमित सेवा सहित 4600/—रुपये ग्रेड पे सहित 9300—34800/— रुपये, पे ग्रेड—I । टीप 1:— जिन कनिष्ट अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नित के लिए विचारणीय होंगे बशर्तें कि अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या व और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नित के लिए अपनी परीवीक्षा अवधि अपने की साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता प हैं। टीप 2:— पदोन्नित के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिये 01.01.2 अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयो		दिल्ली जल बोर्ड प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित क्षेत्र में एक सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा करने वाले तथा ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा सिंहत 4600/—रुपये ग्रेड पे सिंहत 9300—34800/— रुपये, पे बैंड—2 में ड्राफ्टमैंन ग्रेड—I । टीप 1:— जिन किनष्ट अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नित के लिए विचारणीय हैं। उनके विरुट अधिकारी भी पदोन्नित के लिए विचारणीय होंगे बशर्तें कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अविध के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नित के लिए अपनी परीवीक्षा अविध अपने किनष्ट अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (किनष्ट अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। टीप 2:— पदोन्नित के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू				

			प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)			
			केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ विश्वविद्यालय /मान्यता प्राप्त अनुसंघान संस्थान/ अर्धसरकारी/ सांवधिक संगठन/ स्वायत्त संगठन/ या अन्य सार्वजनिक संस्थानों के निम्नलिखित अधिकारी:–			
			क. (1) मूल संवर्ग / विभाग मे नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा			
			(2) मूल संवर्ग / विभाग में पे बैंड—2 में 9300—34,800रू0, ग्रेड पे 4600 / —रुपये सहित नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में दो वर्ष की सेवा सहित			
			(3) मूल संवर्ग / विभाग में पे बैंड—2 में 9300—34,800रू0, ग्रेड पे 4200 / —रुपये सहित नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में छह वर्ष की सेवा सहित, तथा			
			(ख) निम्नलिखित भैतिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले:			
			(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से वास्तुकला में डिग्री।			
			(ख)(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से वास्तुकला असिस्टेंटशिप में डिप्लोमा।			
			(2) डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात् ड्राफ्टमेंन के रूप में दो वर्ष का व्यवसायिक अनुभव			
			टीप 1: भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नित की सीधी श्रृखंला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नित द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे।			
			(केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सिहत) की अवधि भी सिम्मिलित है। यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सिहत) पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी।)			
			टीपः प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 (जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है) से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। जहां पर पूर्व संशोधित एक से अधिक वेतनमानों का विलय साझे ग्रेड/वेतनमान सिहत एक ग्रेड में किया जा चुका है, और जहां ये लाभ उस/उन पद/पदों के लिये ही विस्तारित हैं जिसके लिये यह ग्रेड पे/वेतनमान किसी प्रकार के अपग्रेडेशन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) ग्रेड है।			
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नित समिति	:	'ख'' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचारार्थ)			
	हो तो इसकी संरचना क्या है?		1. सदस्य (प्रशासन)—अध्यक्ष			
			2. निदेशक (ए एण्ड पी)– सदस्य			
			3. सी ई (सिविल) – सदस्य			
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।			

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के आदेश से तथा उनके नाम पर,

आर. सी. केसरवानी, सहायक निदेशक (जल)

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 23th June, 2016

No. 16 (514)/UD/W/2015/1035-1036.—The following Recruitment and promotion regulations made by the Delhi Water Board under clause(m) sub-section (2) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998) approved vide Competent Authority orders dated 26.02.2015 and concurred by the Union Public Service Commission vide letter F. No. 3/24(12)/2015-RR dated 02.06.2015 and in supersession of the Head Draftsman recruitment and promotion regulations notified vide notification No. F.9/43/80-LSG/597 dated 22.01.1981, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the regulations for the recruitment to the post of Head Draftsman in the Delhi Water Board, Delhi are hereby published as following, namely:-

- **Short title and commencement.**—These regulations may be called the Head Draftsman in Delhi Jal Board Recruitment and promotion Regulation, 2016.
- 2. Number of posts, Classification, Pay Band and Grade Pay/ scale of pay.—The number of posts, their classification and pay Band and Grade Pay/ scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.
- 3. Method of recruitment, age limit and other qualifications -The method of recruitment, age, limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
- **4. Disqualifications**.—No person
 - (a) Who has entered or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person Shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

- **6. Power to Relax.**—Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rule with respect to any class or category of persons.
- **7. Saving.**—Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	No. of Post	Classification	Pay Band & Grade	Whether	Age limit	Educational &
			Pay/Pay Scale	selection or	for direct	other
				non-	recruits.	qualification
				Selection post		required for
						direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Head Draftsman	8 (2015)	Category 'B'	PB-2 Rs. 9300-	Selection	Not	Not
	Subject to		34800 (Grade Pay		Applicable.	Applicable.
	variation		Rs 4800)			
	dependent on					
	workload					

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment, or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.
8	9	10	11
Not Applicable.	Not Applicable.	By promotion failing which by deputation including short-term contract.	Promotion:- Draftsman Grade-I in PB-2 Rs 9300-34800/- with Grade Pay of Rs. 4600/- with 2 years regular service in the grade and have undergone one weeks training in related field from Delhi Jal Board Training Institute. Note 1:- Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along-with their junior who have already completed such qualifying/eligibility service.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period probation, any.	of if	Method of recruitment whether by direct recruitment, or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.
				Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006, the date from which the revised pay structure based on the 6 th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission. Deputation(Including Short Term Contact):- Officers under the Central/State Governments /UT Administrations/ PSUS/Universities/ recognised Research Institutions/ Semi Government or Autonomous Bodies or Statutory Organzations
				A)(i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department: OR
				(ii) With two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Posts in PB-2 Rs. 9300-34800/- with Grade pay of Rs. 4600/- or equivalent in the parent cadre or department; OR
				(iii) With six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in PB-2 Rs. 9300-34,800 with Grade pay of Rs. 4200/- or equivalent in the parent cadre/ department; AND
				(B) Possessing the following educational qualifications and experience:. A. Degree in Architecture of a recognised university/institute or B.(i) Diploma in Architectural Assistantship from a recognised University/ Board/Institute. (ii) Two(2) years professional experience as draftsman after acquiring diploma.
				Note1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
				(Period of deputation(ISTC) including period of deputation(ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation(ISTC) shall be not exceeding 56 years as on
				the closing date of the receipt of applications.) Note 2: For the purpose of appointment on deputation basis, The service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/ the date from which the revised pay structure based on the 6 th CPC recommendation has been
				extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one prerevised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for

Whether age and	Period	of	Method of recruitment	In case of recruitment by promotion/
educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	probation, any.	if	whether by direct recruitment, or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled	deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.
			by various methods.	the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any ungradation.

If a DPC	exists, what is its Composition.	Circumstances in which UPSC is to be		
		consulted in making		
		recruitment		
12		13		
Category	'B' Departmental Promotion Committee (For considering promotion)	Consultation with UPSC necessary		
1.	Member(A)-Chairman	while appointing an officer on		
2.	Director(A&P)-Member	deputation (ISTC).		
3.	Chief Engineer (Civil)-Member			

By Order and in the Name of Government of National Capital Territory of Delhi'

R. C. KESARWANI, Asstt. Director (Water)